सं0-82/2015/801/62-2-2015-2/4(43)/2014

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 07 जुलाई,2015

विषय- लघु सिंचाई विभाग में बोरिंग टेक्नीशियन संवर्ग में लगभग 20 वर्षो से कार्यरत 17 डिप्लोमाधारियों को लघु सिंचाई विभाग में ही विशेष उपकरण संवर्ग में कार्यरत डिप्लोमाधारियों की भांति अवर अभियंता के पद पर संविलीन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-143/स्था-6/याचि0सं0-1732/13/2015, दिनांक 20-02-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत लघु सिंचाई विभाग में बोरिंग टेक्नीशियन से अवर अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 23 प्रतिशत कोटे में से 03 प्रतिशत कोटा डिप्लोमाधारी बोरिंग टेक्नीशियन के पदोन्नति हेतु तथा इसी प्रकार मैकेनिक (हैवीरिग)/ड्रिलर (हैवीरिग) के अवर अभियंता हेतु निर्धारित पदोन्नति हेतु 03 प्रतिशत कोटे में से 0.5 प्रतिशत कोटा डिप्लोमाधारी मैकेनिक (हैवीरिग)/ड्रिलर (हैवीरिग) के लिए निर्धारित किया जाता है।

3- उक्त दोनों संवर्गो में से डिप्लोमाधारी पदधारक उपलब्ध न होने की स्थिति में बोरिंग टेक्नीशियन संवर्ग के लिए पदोन्नति कोटा पुन: 23 प्रतिशत तथा मैकेनिक (हैवीरिग)/ड्रिलर (हैवीरिग) के लिए पुन: 03 प्रतिशत हो जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपरोक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए संशोधित सेवा नियमावली यथाशीघ्र प्रख्यापित कराई जायेगी तथा सेवानियमावली में संशोधन के उपरांत ही संवीलियन की कार्यवाही की जायेगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-वे0आ0-2-810/दस-2015, दिनांक 29-6-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-82/2015/801(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6- वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
7- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in